कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची।

(विधि–व्यवस्था शाखा)

आदेश

कोविड–19 के संक्रमण एवं अप्रत्याशित वृद्धि के कारण अत्यधिक संख्या में लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। वर्तमान में संक्रमण का फैलाव एवं प्रसार का मुख्यतः कारण कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन नहीं करना है। इस परिप्रेक्ष्य में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, राँची एवं नगर पुलिस अधीक्षक, राँची को निर्गत आदेश से सम्पूर्ण राँची शहर में अवस्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/हाट–बाजार/मॉल/क्लब/होटल/रेस्तरां/कोचिंग संस्थान एवं अन्यान्य भीड़भाड़ वाली घनी आबादी युक्त क्षेत्र के दस–पन्द्रह जोन में विभक्त प्रक्षेत्र में निम्नांकित कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन हेतु गहन जांच की कार्रवाई जारी है। मुख्य सचिव, झारखण्ड आदेष ज्ञापांक–12, दिनांक–06.04.21 से प्राप्त मार्गनिर्देष के अनुपालन हेतु पुनः टीम गठित कर दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति निम्नवत की जाती है–

जोन	क्षेत्र	थाना	प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी
1	फिरायालाल चौक से कोकर चौक तक	लालपुर/सदर थाना	श्री सागर प्रताप सिंह, कार्य0अभि0, एन.आर.ई.पी. 1, रांची 9472745569
2	फिरायालाल चौक से राजेन्द्र चौक तक	डेली मार्केट/हिन्दपीढ़ी थाना	सुश्री कोमल कुमारी, परिक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, रांची–6200588324
3	करमटोली चौक से बुटी मोड़ तक	लालपुर/बरियातू/सदर थाना	श्री निषांत अंजुम, परिक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, रांची–9504534490
4	कांटाटोली चौक से सुजाता चौक तक	लोअर बाजार/चुटिया थाना	श्री सुनील कु0 सिन्हा, राज्य कर पदा0, पष्चिमी अंचल 9471576776
5	राजेन्द्र चौक से बिरसा चौक तक	डोरंडा थाना	श्री अजय कुमार, राज्य कर पदा0, दक्षिणी अंचल, रांची 9234774175
6	सिरमटोली चौक से चुटिया एवं लोवाडीह तक	चुटिया/नामकुम थाना	श्री फिरोज अहमद, राज्यकर पदा0, दक्षिणी अंचल, रांची 9431751076
7	बिरसा चौक से तुपुदाना चौक तक	डोरंडा/तुपुदाना ओ.पी./धुर्वा थाना	श्री धीरज कुमार, परिक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, रांची 9971815128
8	एच.ई.सी. गेट से धुर्वा बस स्टैण्ड तक	जगरनाथपुर/धुर्वा थाना	श्री मनीष कुमार, परिक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, रांची 9204777105
9	अरगोड़ा चौक, हरमू चौक से सहजानन्द चौक तक	अरगोड़ा/हरमू थाना	श्री आर.बी. सिंह, कार्य0अभि0, पथ नि0वि0 पथ प्र0, शहरी, रांची 9431194392
10	न्यू मार्केट रातू रोड से पिस्का मोड़ तक	सुखदेनगर/पण्डरा ओ.पी.	सुश्री सबिता सिंह, परिक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, रांची 6207717117
11	हॉट लिप्स चौक से चांदनी चौक तक	गोंदा/कांके थाना	श्री शिव कु0 सिंह, राज्य कर पदा0, विषेष अंचल, रांची 8887731238
12	कचहरी चौक से सामाहरणालय, अपर बाजार, सरकुलर रोड आदि के आस–पास क्षेत्र	कोतवाली थाना	श्री उज्जवल कुमार चौरसिया, राज्य कर पदा0, विशेष अंचल, रांची 9955114266

Scanned with CamScanner

मुख्य सचिव, झारखण्ड–सह–अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी समिति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के ज्ञापांक–12 दिनांक–06.04.2021 के द्वारा कोविड–19 के संक्रमण को रोकने से संबंधित मार्ग निदेश एवं पूर्ववत निर्गत ओदश में सन्निहित करते हुए गठित टीम को निम्नांकित अनुपालनार्थ/कार्रवाई हेतु निदेश दिया जाता है।

1. सभी प्रकार के जनसमुह समारोह (आंतरिक एवं बाह्य) पर प्रतिबंध है। केवल विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार को छोड़कर जिसका अधिकतम सीमा क्रमशः 200 एवं 50 व्यक्तियों का तय किया गया है।
2. सभी प्रकार के जुलूस, (धार्मिक जुलूस को छोड़कर) पर प्रतिबंध लगाया गया है।
3. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते है।
4. सभी स्कूल/विद्यालय बंद रहेंगे और पठन–पाठन का कार्य ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से Digital Content के अनुसार किया जाएगा। 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए जो Board Examination 2021 में सम्मिलित हो रहे है उन्हे Offline Classes की अनुमति उक्त शर्त पर दी गयी है कि विद्यार्थी अपने अभिभावक का अनुमति प्राप्त कर के ही Offline Classes कर सकते है।
5. सभी प्रकार का मेला एव प्रर्दशनी पर प्रतिबंध है।
6. सभी व्यायामशाला/स्वीमिंगपूल बंद रहेंगे।
7. सभी प्रकार के खेल समारोह प्रतिबंधित रहेंगे परन्तु खिलाड़ियों को स्टेडियम अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु छूट प्रदान की गयी है।
8. सभी पार्क बंद रहेंगे।
9. सभी रेस्टोरेंट को संचालन करने की छूट 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के आधार पर प्रदान की गई है।
10. धार्मिक स्थान/प्रार्थना स्थल पर व्यक्तियों को जाने की छूट दी गई है बशर्ते की उक्त स्थल की धारित क्षमता का 50 प्रतिशत तक लोग ही दो गज की सामाजिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए एकत्रित हो सकते है।
11. बैंक्विट हॉल मात्र विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है।
12. सभी प्रकार के दूकान, रेस्टोरेन्ट, क्लब रात्रि 08 बजे के बाद खुले नहीं रहेंगे लेकिन खाद्य पदार्थ का Take Home/Home Delivery रेस्टोरेन्ट से दिये जाने का छूट प्रदान किया गया है।
13. किसी भी सार्वजनिक सरकारी कार्यालय/धार्मिक स्थान/प्रार्थना स्थल/रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा/बस/टैक्सी/ऑटोरिक्सा या सार्वजनिक स्थान पर जैसे दूकान ईत्यादि पर कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क/बिना चेहरा ढ़के हुए रहने पर प्रतिबंध है।
14. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी वैसे कार्यकलाप जिस पर प्रतिबंध नहीं लगा है(Containment Zone को छोड़कर) उक्त कार्यकलापो को अनुमति प्रदान की गई है।

उपरोक्त मार्ग निदेश दिनांक 08.04.2021 से 30.04.2021 तक प्रभावी रहेगा।

Scanned with CamScanner

इसके अतिरिक्त पूर्ववत निर्गत निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायः—

- पर्याप्त सामाजिक दूरी 6 फीट (दो गज) की दूरी बनाकर ही किसी भी स्थान पर ग्राहकों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए।
- यदि किसी प्रतिष्ठान/दुकान में कोई व्यक्ति बिना मास्क या सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो गठित टीम यह सुनिश्चित करेगी की उक्त प्रतिष्ठान के मालिक के विरूद्ध वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाए और सभी उपस्थित उल्लंघन कर्ताओं को कोविड जाँच केन्द्र ले जाकर जाँच कराया जाए।
- प्रत्येक प्रतिष्ठान के प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिष्ठान के बाहर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने तथा सेनिटाईजर की व्यवस्था हो।
- होटल/रेस्तरां या अन्य बैठने वाली जगहों पर व्यवस्थापक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सामाजिक दूरी बनाकर ही बैठने हेतु कुर्सी आदि की व्यवस्था की जाए। प्रतिष्ठान के मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि संख्या से अधिक ग्राहक एक समय में उपस्थित न हों जिससे की तय सामाजिक दूरी बनी रहे। प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी कर्मी फेस मास्क, हेण्ड ग्लब्स लगाए हों तथा नियमित रूप से उक्त प्रतिष्ठान का सेनिटाईजेशन और वैसे सम्पर्क स्थान यथा—हैण्डल, सर्फेश एवं दरवाजा आदि को सेनिटाईज करना का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक गठित टीम के साथ एक खाली वाहन सम्बद्ध करेंगे, जो टीम के जाँच के क्रम में उल्लंघन कर्ताओं को बस में बैठाकर निकटस्थ बूथ तक जांच हेतु ले जायेंगे।
- गठित टीम यह भी सुनिश्चित करेगी कि शहर अन्तर्गत परिचालित पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जैसे—ऑटो, सिटी बस, ई—रिक्शा में क्षमता से अधिक तथा निर्धारित अधिसीमा से अधिक पाया जाता है तो उसे तत्काल रोक कर जाँच किया जाए, जाँचोंपरान्त सभी का कोविड जाँच निकटस्थ बूथ पर कराते हुये MV Act/IPC/DM Act की सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कारवाई की जाय।
- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची, चेम्बर ऑफ कामर्स/अन्य NGO से समन्वय स्थापित कर सभी दुकान में उक्त आशय का **''नो मास्क नो इन्ट्री''** पम्पलेट बनाकर चस्पा करायेंगे तथा सभी प्रतिनियुक्त टीम के साथ P.A. System लगाया जाए जिसमें यह सुविधा हो कि कोविड की सावधानी/चेतावनी से संबंधित जिंगल को उच्च ध्वनि में बजाया जाए। प्रतिदिन जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची सम्पूर्ण टीमों के द्वारा किये गये भ्रमण/जाँच का प्रतिवेदन तैयार कर उसे जन सम्पर्क कार्यालय, राँची के माध्यम से मीडिया को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- गठित टीम विहित प्रपत्र में प्रतिदिन संध्या 05.00 बजे अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, रांची प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/बुण्डू, रांची एवं पुलिस अधीक्षक, नगर/ग्रामीण, रांची विहित प्रपत्र में प्रतिदिन सभी टीम से प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित करते हुए सयुक्त प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची एवं जिला नजारत उपसमाहर्त्ता, रांची वैसे प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी जिन्हें वाहन की सुविधा नहीं है उन्हें समन्वय स्थापित कर वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्राप्त मार्गनिर्देश के आलोक में रात्रि 08 बजे के बाद दूकान, रेस्टोरेन्ट एवं क्लब ईत्यादि पर जो प्रतिबंध लगाई गई है उक्त का नियमित रूप से अनुपालन कराने हेतु सभी अंचल अधिकारी–सह–**Incident Commander** को अपने–अपने अधिनस्थ क्षेत्र में यह दायित्व दी जाती है कि उक्त का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। और किसी भी परिस्थिति में उनके अधिनस्थ क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का दूकान, रेस्टोरेन्ट, क्लब आदि रात्रि 08 बजे के बाद खुला नहीं रहेगा यदि खुला पाया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं **Indian Panel Code** के सुसंगत धारा के अंतर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, रांची, सभी अंचलाधिकारी के साथ रात्रि में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति एवं **PCR Van** को भी निदेशित करेंगे की अपने–अपने क्षेत्र से संबंधित अंचलाधिकारी के साथ अभियान के कम में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

अनुलग्नकः–प्रपत्र संलग्न।

07/4/21

वरीय पुलिस अधीक्षक,
राँची।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांक : 1054 /वि०व्य०

राँची, दिनांक : 07/4/21

प्रतिलिपि : प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला परिवहन पदाधिकारी, रॉची/जिला नजारत उपसमाहर्त्ता, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/बुण्डू/पुलिस अधीक्षक, नगर/ग्रामीण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉची को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रतिनियुक्त टीम के साथ प्रर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ।

07/4/21

वरीय पुलिस अधीक्षक,
राँची।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
राँची।

Scanned with CamScanner